प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय (छत्तीसगढ़), बिलासपुर

युगलपीठ

न्यायपीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायमूर्ति

विविध अपील (प्रतिकर) क्र. 277 सन् 2010

अपीलार्थीगण/ आवेदकगण

1. श्रीमती रुखमणी देवांगन,
   पति स्व. बैसाखू राम देवांगन,
   आयु लगभग 46 वर्ष
   (मृतक की पत्नी)
2. प्रदीप कुमार देवांगन,
   पिता स्व. बैसाखू राम देवांगन,
   आयु लगभग 28 वर्ष
   (मृतक का पुत्र)
3. कु. प्रेमलता देवांगन,
   पिता स्व. बैसाखू राम देवांगन,
   आयु लगभग 25 वर्ष
   (मृतक की अविवाहित पुत्री)
4. कु. भारती देवांगन,
   पिता स्व. बैसाखू राम देवांगन,
   आयु लगभग 23 वर्ष
   (मृतक की अविवाहित पुत्री)
5. संदीप कुमार देवांगन,
   पिता स्व. बैसाखू राम देवांगन,
   आयु लगभग 21 वर्ष
   (मृतक का पुत्र)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. कु. शोभा देवांगन,
पिता स्व. बैसाखू राम देवांगन,
आयु लगभग 19 वर्ष
(मृतक की अविवाहित पुत्री)
समस्त निवासी— गौरा चौराहा,
मोहन टेलर के पास,
शक्ति नगर, शंकर नगर,
जिला रायपुर, छ.ग.

<u>विरूद्ध</u>

प्रत्यर्थीगण/अनावेदकगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. अरविंद कुमार पटेल
पिता रमेश सिंह पटेल,
आयु लगभग 29 वर्ष,
व्यवसाय- वाहन चालक,
निवासी बगराहाटोला, सतना,
पुलिस थाना सीटी कोतवाली,
जिला सतना म.प्र.
कार्यस्थल/नियोजन का पता-
द्वारा श्रीमती कमलजीत कौर,
पति अमरपाल सिंह गांधी,
वार्ड क्र.13, बैहर रोड, बालाघाट,
तह. एवं जिला बालाघाट, म.प्र.
(वाहन ट्रक जिसका, पंजीयन क्र.
एम.पी.50/एच./0729) का चालक

2. श्रीमती कमलजीत कौर,
पति अमरपाल सिंह गांधी,

वार्ड क्र.13, बैहर रोड, बालाघाट,

तह. एवं जिला बालाघाट, म.प्र.

(वाहन ट्रक जिसका, पंजीयन क्र.

एम.पी. 50/एच./0729)

की पंजीकृत स्वामिनी

3. द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

द्वारा संभागीय मैनेजर,

संभागीय अधिकारी,

जेल रोड, मदीना मंज़िल,

कचहरी चौक, रायपुर,

तह. एवं जिला रायपुर, छ.ग.

(वाहन ट्रक जिसका, पंजीयन क्र.

एम.पी. 50/एच./0729) का

बीमाकर्ता

(बीमा वैधता अवधि 26/05/2007

से 25/05/2008 तक,

पॉलिसी जारी करने की शाखा-

परासिया रोड, छिंदवाड़ा, म.प्र.)

4. श्यामलाल धीवर,

पिता बुधराम धीवर,

आयु लगभग 38 वर्ष,

व्यवसाय- वाहन चालक,

निवासी— सुभाष नगर, चांदी चौक,

महासमुंद, थाना महासमुंद,

जिला महासमुंद, छ.ग.

कार्यस्थल/नियोजन का पता-

द्वारा प्रबंधक/निदेशक,

मेसर्स ओडिसा/उड़ीसा कंक्रीट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एंड एलॉयड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड,

भानपुरी, पो. भानपुरी,

जिला रायपुर, छ.ग.

(वाहन ट्रक जिसका, पंजीयन क्र.

सी.जी.04/जी/3700) का चालक

5. मेसर्स ओडिसा/उड़ीसा कंक्रीट

एंड एलॉयड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड,

द्वारा प्रबंधक/निदेशक,

भानपुरी, पोस्ट- भानपुरी,

तह. एवं जिला रायपुर, छ.ग.

(वाहन ट्रक जिसका, पंजीयन क्र.

सी.जी.04/जी/3700)

की पंजीकृत स्वामी संस्था

6. द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

द्वारा संभागीय मैनेजर,

संभागीय कार्यालय,

जेल रोड, मदीना बिल्डिंग,

कचहरी चौक के पास, रायपुर,

जिला रायपुर, छ.ग.

(वाहन ट्रक जिसका, पंजीयन क्र.

सी.जी.04/जी/3700) का बीमाकर्ता

(बीमा वैधता अवधि 29.05.2007 से

28.05.2008 तक,

पॉलिसी जारी करने की शाखा-

आर.डी.ए. बिल्डिंग, द्वितीय तल,

तह. एवं जिला रायपुर, छ.ग.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत अपील ज्ञापन</u>

उपस्थित : श्री धर्मेश श्रीवास्तव व श्री तरुण डडसेना, अपीलार्थीगण हेतु अधिवक्ता

श्री अभिषेक सिन्हा व श्री डी.एल.देवांगन, प्रत्यर्थी क्र.3 हेतु अधिवक्ता

श्री आर.के. पाली, प्रत्यर्थी क्र. 5 हेतु अधिवक्ता

श्री एच.पी. अग्रवाल, प्रत्यर्थी क्र. 6 हेतु अधिवक्ता

आदेश

(16 जनवरी, 2012)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **मुख्य न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता** द्वारा पारित किया गया-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण ने यह अपील 9वें अतिरिक्त अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (संक्षेप में अधिकरण) द्वारा दावा प्रकरण क्र. 71/2008 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 15.04.2008 द्वारा प्रदत्त प्रतिकर की राशि की वृद्धि हेतु प्रस्तुत की है।

2. अपीलार्थीगण/आवेदकगण, जो कि मृतक बैसाखू राम देवांगन की दुर्भाग्यशाली विधवा तथा बच्चे हैं, द्वारा दिनांक 02.02.2008 को हुई मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के लिए मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा याचिका प्रस्तुत कर 17,99,000/- रुपये के प्रतिकर की मांग की गई थी, अधिकरण ने दावा याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कुल 3,16,500/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि अधिनिर्णित की है।

3. अधिकरण ने उसके समक्ष प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण के उपरांत यह निर्धारित किया कि मृतक बैसाखू राम देवांगन की मृत्यु दि. 02.02.2008 को हुई मोटर दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई थी; यह दुर्घटना दो अपघाती वाहनों जिसका, पंजीकरण क्र. एम.पी.50-एच./0729 व सी.जी.04/जी/3700 वाले ट्रकों, के चालकों द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने के कारण घटित हुई थी; चूँकि दुर्घटना की तिथि पर, उपरोक्त दोनों दुर्घटनाकारी ट्रक क्रमशः द ओरिएंटल

इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास बीमित थे, और ये बीमा कंपनियां पॉलिसी की शर्तों के किसी भी उल्लंघन को सिद्ध नहीं किया गया, इसलिए दोनों बीमा कंपनियां अधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिकर का 50-50% राशी आवेदकगण को भुगतान करने के लिए दायी थीं।

4. क्योंकि उपरोक्त बीमा कंपनियों ने अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्षों को चुनौती देते हुए आक्षेपित अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, अतः अधिकरण द्वारा दिया गया निष्कर्ष अंतिमता प्राप्त कर चुका है।

5. अधिकरण ने मृतक की आय 36,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के मद में 36,000/- रुपये का 1/3 भाग घटाकर, अपीलार्थीगण/आवेदकगण की आश्रितता 24,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई। 24,000/- रुपये की वार्षिक आश्रितता को 13 के गुणांक से गुणा करके, प्रतिकर की गणना 3,12,000/- रुपये की गई। अन्य मदों के तहत 4,500/- रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करते हुए, अधिकरण ने मृतक बैसाखू राम देवांगन की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए अपीलार्थीगण/आवेदकगण को कुल 3,16,500/- रुपये प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णित किए। अधिकरण ने आगे यह निर्देश दिया कि उपरोक्त 3,16,500/- रुपये की प्रतिकर राशि पर दावा याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाए। अधिकरण ने आगे यह भी निर्देशित किया कि दुर्घटना में शामिल दोनों ट्रकों की बीमाकर्ता कंपनियों, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, में से प्रत्येक, उपरोक्त 3,16,500/- रुपये की प्रतिकर राशि और उस पर देय ब्याज का 50-50% भाग अपीलार्थीगण/आवेदकगण को भुगतान करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. श्री धर्मेश श्रीवास्तव और श्री तरुण डडसेना, अपीलार्थीगण/आवेदकगण के विद्वान अधिवक्तागण ने यह तर्क दिया कि अधिकरण ने मृतक की आय का आकलन मात्र 36,000/- रुपये प्रति वर्ष करने में; मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के मद में उसकी आय का 1/4 के स्थान पर 1/3 भाग घटाने में; अन्य मदों के तहत केवल 4,500/- रुपये की अल्प राशि प्रदान करने में; और केवल 3,16,500/- रुपये का कम प्रतिकर देने में त्रुटि की है।

7. इसके विपरीत, दुर्घटनाकारी दोनों ट्रकों की बीमाकर्ता कंपनियों, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, के विद्वान अधिवक्तागण, श्री एच.पी. अग्रवाल

और श्री अभिषेक सिन्हा ने निर्णय का समर्थन किया और यह तर्क दिया कि अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित 3,16,500/- रुपये का प्रतिकर, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायोचित और उचित प्रतिकर है।

8. श्री आर.के.पाली, प्रत्यर्थी क्र.5 (पंजीकरण क्र. सी.जी.04/जी/3700 वाले दोनों ट्रकों में से एक के स्वामी) के विद्वान अधिवक्ता ने भी अधिनिर्णय का समर्थन किया।

9. मोटर दुर्घटना दावा मामले में महत्वपूर्ण यह है कि न्यायालयों/अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित किया जाने वाला प्रतिकर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत एवं उचित होना चाहिए। प्रतिकर की राशि न तो बहुत कम होनी चाहिए और न ही यह किसी के लिए अप्रत्याशित लाभ होना चाहिए।

10. अब, हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि क्या अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित 3,16,500/- रुपये का प्रतिकर वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत एवं उचित प्रतिकर है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यह सत्य है कि अपीलार्थीगण/आवेदकगण ने यह अभिवचन किया था कि मृतक बैसाखू राम देवांगन तीन-पहिया 'मिनीडोर' चलाकर 300/- रुपये प्रतिदिन कमाता था, किंतु मृतक की 300/- रुपये प्रतिदिन की आय स्थापित करने के लिए अधिकरण के समक्ष कोई भी निश्चायक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्य की इस स्थिति में, हम मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण/आवेदकगण के साक्ष्यों को खारिज करने और अपने स्वयं के अनुमान के आधार पर उसकी आय 3,000/- रुपये प्रति माह तथा 36,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित करने के अधिकरण के दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं पाते हैं।

12. मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के मद में अधिकरण द्वारा 36,000/- रुपये के 1/3 हिस्से की कटौती पुनर्विचार की अपेक्षा रखती है, क्योंकि अधिकरण के समक्ष छह आवेदकगण थे, जिनमें से चार, मृतक की विधवा और तीन अविवाहित पुत्रियाँ, पूरी तरह से मृतक पर आश्रित थीं। हमारी सुविचारित राय में, अधिकरण को मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के मद में उसकी आय का 1/4 भाग घटाना चाहिए था।

13. मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के मद में 36,000/- रुपये का 1/4 भाग घटाकर, अपीलार्थीगण/आवेदकगण की आश्रितता 27,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है।

14. मृतक बैसाखू राम देवांगन की शव परीक्षण प्रतिवेदन में दर्शित उसकी आयु 48 वर्ष के आधार पर अधिकरण द्वारा निर्धारित 13 के गुणांक में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि **सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य विरूद्ध दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, (2009) 6 एससीसी 121** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का सिद्धांत 46-50 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 13 का गुणांक निर्धारित करता है।

15. 27,000/- रुपये की वार्षिक आश्रितता को 13 के गुणांक से गुणा करने पर प्रतिकर की राशि 3,51,000/- रुपये संगणित होती है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थीगण/आवेदकगण निम्नलिखित मदों के तहत राशि प्राप्त करने के हकदार हैं: अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 5,000/- रुपये; संपदा की हानि के लिए 5,000/- रुपये; और विधवा को सहचर्य सुख की हानि के लिए 5,000/- रुपये। इस प्रकार, अपीलार्थीगण/आवेदकगण मोटर दुर्घटना में मृतक बैसाखू राम देवांगन की मृत्यु के लिए प्रतिकर के रूप में कुल 3,66,000/- रुपये की राशि प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण ने यह निवेदन किया कि अधिकरण के समक्ष पक्षकारों के बीच उस अवधि को लेकर किसी भी संभावित विवाद से बचने के लिए, जिसके लिए अपीलार्थीगण/आवेदकगण प्रतिकर की वर्धित राशि पर ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं, प्रतिकर की वर्धित राशि पर ब्याज की मात्रा का निर्धारण इस अपील में ही कर दिया जाए।

17. दावा याचिका और वर्तमान अपील के निपटान में हुए विलंब सहित मामले के सभी सुसंगत पहलुओं तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मामले में हुए संपूर्ण विलंब के लिए केवल बीमा कंपनी को ही दोष नहीं दिया जा सकता है, हम 49,500/- रुपये की वर्धित प्रतिकर राशि पर ब्याज की राशि 6,500/- रुपये निर्धारित करते हैं।

18. पूर्वोक्त कारणों से, प्रतिकर में वृद्धि के लिए अपीलार्थीगण/दावेकर्तागण द्वारा प्रस्तुत की गई अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित 3,16,500/- रुपये के प्रतिकर को बढ़ाकर 3,66,000/- रुपये किया जाता है, साथ ही 49,500/- रुपये की वर्धित प्रतिकर राशि पर 6,500/- रुपये की ब्याज राशि निर्धारित की जाती है। इस प्रकार, अपीलार्थीगण दोनों बीमा

कंपनियों से ब्याज घटक सहित कुल 56,000/- रुपये (छप्पन हजार रुपये मात्र) की राशि प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं।

19. प्रत्यर्थी क्र. 3, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व प्रत्यर्थी क्र. 6 द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष अपने-अपने हिस्से की 28,000/-, 28,000/- रुपये की राशि जमा करने के लिए तीन माह का समय दिया जाता है।

20. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

हस्ताक्षरित :
मुख्य न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित :
आर एन चंद्राकर
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By अधिवक्ता राजकुमार वर्मा